17/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०
बहस के दौरान वादी वकील ने
निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट
TI । डिसाइड कर दी जावे।

बनाम

......................................नं ....सन् ....

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम व... में जारी हु...
पक्षद्वय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया विचाराधीन प्रकरण विवादित आराजी दोनो पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय-2 पर अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सहखातेदार संयुक्त खाते की आराजी में दूसरे सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। चूंकि प्रतिवादीगण भूमि के सहखातेदार है तथा आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अपूर्णीय क्षति जैसा कि	

ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी में वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। और प्रतिवादी भूमि के सहखातेदार हैं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी गण को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के ही अधिकारों का हनन होगा जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन — चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित हैं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाता है तो उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिससे प्रतिवादीगण को ही असुविधा कारित होने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है।

FROM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.... मुकाम ....

.... बनाम ....

.... नं.................... सन्..................................

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रा० पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा० पत्र 212 RT Act आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्डरूम में जमा की जावे। फैसला मुनादी हो।	